रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237950 CG-DL-E-05082022-237950

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] No. 192] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

सं. 21/2015-2020

विषयः मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2015—16 और 2016—17 में जारी किए गए स्तर प्रमाण—पत्र की वैधता को बढ़ाना।

फा. सं. 01/61/180/246/एएम-20/पीसी-3.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 3.20(क) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक का मौजूदा पैरा 3.20(क)	प्रक्रिया पुस्तक का संशोधित पैरा 3.20(क)
3.20 स्तर प्रमाण-पत्र की वैधता	3.20 स्तर प्रमाण—पत्र की वैधता
(क) इस विदेश व्यापार नीति के तहत जारी स्तर प्रमाण-पत्र	(क) इस विदेश व्यापार नीति के तहत जारी स्तर प्रमाण–पत्र
मान्यता के लिए आवेदन की तिथि या केवल 30.06.2022, जो	मान्यता के लिए आवेदन की तिथि या केवल 30.09.2022,
भी बाद में हो, से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।	जो भी बाद में हो, से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2015—16 और 2016—17 में जारी किए गए स्तर धारक प्रमाण—पत्रों की वैधता दिनांक 30.09.2022 तक बढ़ाई गई है।

> संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

5345 GI/2022 (1)

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

# (DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th August, 2022

No. 21 /2015-20

### Subject: Extension of validity of Status Certificates issued in FY 2015-16 and 2016-17 under current FTP

**F. No. 01/61/180/246/AM20/PC-3.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in para 3.20 (a) of the Handbook of Procedures, 2015-20 with immediate effect:

Existing para 3.20 (a) of HBP	Amended para 3.20 (a) of HBP
3.20 Validity of status certificate	3.20 Validity of status certificate
(a) Status Certificates issued under this FTP shall be valid for a period of 5 years from the date on which application for recognition was filed or 30.06.2022 only whichever is later.	(a) Status Certificates issued under this FTP shall be valid for a period of 5 years from the date on which application for recognition was filed or <b>30.09.2022</b> only whichever is later.

**Effect of Public Notice:** Validity of Status Holder Certificates issued in the FY 2015-16 and 2016-17 under the provisions of FTP 2015-20 has been extended upto 30.09.2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.